छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

—::आदेश::—

क्रमांक / 3217—A / 2669 / 2012 / वाक(आब) / पांच रायपुर, दिनांक : 15.11.2013

प्रति,

कलेक्टर
जिला—राजनांदगांव, कांकेर, कोण्डागांव (छ.ग.)

विषय :—छत्तीसगढ़ विधान सभा आम चुनाव 2013 द्वितीय चरण मतदान के समय शराब आदि की बिक्री पर निषेध के संबंध में।

संदर्भ :— (1) पत्र क्रमांक / 3217 / 2669 / 2013 / वाक(आब) / पांच, दिनांक 25.10.2013
(2)पत्र क्रमांक / 3217 / 2669 / 2012 / वाक(आब) / पांच, दिनांक 02.11.2013

— 0 —

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के निर्वाचन / मतदान वाले क्षेत्रों की मदिरा दुकानो, होटल, रेस्तरा, क्लब एव अन्य प्रतिष्ठानो मे मदिरा, मादक, खमीरीकृत या इस प्रकृति का अन्य नशीले पदार्थ का विक्रय, मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बद रखने एव इस अवधि को शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश है। इन निर्देशो के परिपालन मे विस्तृत आदेश उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.10.2013 एवं 02.11.2013 द्वारा जारी किये गये थे।

2/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 16 / चार / वि.स.उप.चु / 2013 / 6425, रायपुर दिनांक 14.11.2013 के परिप्रेक्ष्य में राज्य मे होने वाले द्वितीय चरण मतदान (मतदान तिथि 19.11.2013) के **निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों अर्थात राजनांदगांव, कांकेर और कोण्डागांव** की समस्त मदिरा दुकानो, होटल, रेस्तरा, क्लब एवं अन्य प्रतिष्ठानों में मदिरा, मादक, खमीरीकृत या इस प्रकृति का अन्य नशीले पदार्थ का विक्रय मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रखने (अर्थात 17.11.2013 सायं 5.00 बजे से) एवं उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश दिये जाते हैं। किसी क्षेत्र में यदि पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो, उक्त निर्देश पुनर्मतदान तिथि पर भी लागू होगे।

उक्तानुसार चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

A. Tripathi 15/11/13

(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

—2...

Generated by CamScanner

पृ0क्रमांक/3217–B/2669/2012/वाक(आब)/पांच रायपुर, दिनांक : 15.11.2013

प्रतिलिपि :– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अवर सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव महानदी भवन, नया रायपुर।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ, पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर। आपका पत्र क्रमांक16/चार/वि.स.उप.चु/2013/6425,रायपुर दिनांक14.11.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग मंत्रायल रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ शासन, वाणिज्यिक कर (आब) विभाग मंत्रालय रायपुर।
6. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, एच.ओ.डी.भवन, नया रायपुर।
7. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ, आबकारी भवन, लाभाण्डी रायपुर।
8. श्री संतोष कुमार मिश्र, विशेष सचिव तथा अति. आयुक्त आबकारी, आयुक्त आबकारी विभाग, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. श्री हिमांशु गुप्ता, नोडल एवं पुलिस महानिरीक्षक, छ.ग. पुलिस मुख्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. कलेक्टर, दुर्ग/बालोद/बेमेतरा/कबीरधाम/धमतरी ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय रायपुर की छत्तीसगढ शासन के वेबसाईट www.cg-state.gov.in पर प्रदर्शित करने हेतु।
12. सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–दुर्ग/राजनांदगांव
13. जिला आबकारी अधिकारी, जिला–बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव।

A. Trivedi
15/11/13

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

Generated by CamScanner